Locke's Theory of Consent

Locke, हॉब्स और रूसो की तरह यह मानता है कि मनुष्यों के बीच समझौते के फलस्वरूप राज्य का आविर्भाव हुआ। राज्य के निर्माण के पूर्व जो अवस्था थी, उसे प्राकृतिक अवस्था की संज्ञा तीनों ने दी है। परन्तु मानव स्वभाव के चित्रण पर प्राकृतिक अवस्था के स्वरूप के प्रश्न पर एवं समझौते के फलस्वरूप उत्पन्न राज्य के राज्य के स्वरूप पर तीनों के विचार भिन्न-भिन्न हैं यह भिन्नता तीनों के उद्देश्यों में भिन्नता का एक तार्किक परिणाम है। जबकि Hobbes निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करना चाहता था तो दूसरी ओर Locke संवैधानिक या सीमित राजतंत्र का एवं Rousseau लोकप्रिय सम्प्रभुता का।

सीमित एवं संवैधानिक राजतंत्र का समर्थक होने के नाते Locke जन-सहमति को प्रमुख स्थान देता है। Locke के समझौते की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह व्यक्तियों की स्वीकृति पर आधारित है। समस्त व्यक्ति की निर्विरोध सहमति से यह समझौता होता है। यह सहमति मौन रूप से भी हो सकती है, परन्तु सहमति का होना हर दशा में आवश्यक होता है। Waper ने ठीक ही ~~कहा~~ कहा है कि "The State should exist for the good of the people, should depend on their Consent, should be Constitutional and limited in authority."

लॉक के अनुसार राज्य जनता के लिए है, जनता राज्य के लिए नहीं। उसने बार-बार इस बात पर जोर दिया कि सरकार का उद्देश्य मानव समुदाय का कल्याण है। अतएव जो भी समझौता होता है, उसे वह जन-सहमति पर आधारित करता है। लॉक का मानना है कि अपनी सहमति से कोई किसी राजनीतिक समुदाय का सदस्य हो सकता है एवं प्रत्येक पीढ़ी अपने पूर्वजों की तरह किसी समाज एवं राज्य की अधीनता स्वीकार करने के लिए स्वतंत्र है।

Ajanta Officer

Scanned with CamScanner

लॉक के राज्य का आधार जन संप्रदाय है। राज्य की स्थापना ही जन-सहमति द्वारा होती है। यह ठीक है कि लॉक इस तथ्य को स्वीकार करता है कि अल्पमत सभी बातों में बहुमत की राय को स्वीकार करेंगे। पुनः वह प्रतिनिधियों की सहमति को वास्तव जनता की सहमति मान लेता है।

लॉक का यह मानना है कि सहमति प्रत्यक्ष और स्पष्ट न होकर मौन हो सकती है एवं अन्तर्निहित वह यह भी मान लेता है कि किसी राज्य में रहने का अर्थ ही उस राज्य को अपनी मौन सहमति प्रदान करना है। फिर भी लॉक इस बात पर पूरा बल देता है कि राज्य का आधार वास्तव जनता की सहमति है एवं जनता अपने कानूनी राज्य को अपनी सहमति प्रदान करती है और उसकी आज्ञाओं का पालन करती है।

यदि शासक जनहित के विरुद्ध कार्य करता है एवं जन सहमति के बिना शासन करता है तो लॉक के अनुसार जनता को उसके विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार है। लेकिन बहुत से विद्वानों का यह मत है कि Locke विद्रोह का अधिकार सिर्फ बहुसंख्यक लोगों को ही देता है, अल्पसंख्यक लोगों या एक व्यक्ति को नहीं। इस सन्दर्भ में Locke का कहना है कि एक व्यक्ति या अल्पसंख्यकों को तब तक विद्रोह नहीं करना चाहिए, जब तक शासन के अत्याचार से बहुमत उत्पीड़ित न हो, क्योंकि ऐसा नहीं होने पर विद्रोह सफल नहीं हो सकता। इस प्रकार जहाँ तक विद्रोह करने का प्रश्न है, लॉक बहुसंख्यक के हितों को ध्यान में रखकर ही विद्रोह करने का अधिकार देता है।

लॉक का राज्य 'Tolerant' है। इसमें सभी प्रकार के मतावलम्बी रह सकते हैं। Hobbes की तरह न तो Locke का राज्य पंथनिरपेक्ष है और न चर्च को राज्य के अधीन रखने का पक्षपाती ही। स्वतंत्रता, अधिकार और संविधानवाद के अतिरिक्त लॉक का सबसे महत्वपूर्ण योगदान

सहिष्णुता के समर्थन में है। 17वीं शताब्दी के धार्मिक संघर्ष के संदर्भ में लॉक अत्यन्त ही उदार था।

जन-सहमति को ध्यान में रखते हुए Locke विधायिनी एवं कार्यपालिका की शक्तियों का पृथक्करण करता है। लॉक की कार्यपालिका व्यवस्थापिका के अधीन है। व्यवस्थापिका भी यदि अपनी सत्ता का दुरुपयोग करती है तो जनता उसे अपदस्थ कर सकती है।

लॉक की जनता सर्वोच्च है। उसने सरकार को 'न्यास' के रूप में घोषित कर यह बताया है कि अंतिम शक्ति सदा जनता में निहित है। यह 'न्यास' कुछ शर्तों पर आधारित है। यदि सरकार इसका पालन नहीं करे तो जनता 'न्यास' को समाप्त कर सकती है। वाहन (Vaughan) ने ठीक ही कहा है कि "Every-thing in Locke's System revolves round the individual, everything is disposed so as to ensure the sovereignty of the individual." इस प्रकार लॉक की पूरी व्यवस्था का आधार ही जन-सहमति है।

लॉक के सहमति सिद्धान्त की आलोचना आलोचकों द्वारा की गई है। आलोचकों का मानना है कि लॉक ने कहा है कि सर्वसम्मति से जब राजनीतिक समाज का निर्माण हो जाता है तो प्रत्येक व्यक्ति इस बात को मानने के लिए बाध्य हो जाता है कि बहुमत के निर्णय को शिरोधार्य करेगा, क्योंकि जो कार्य भी समुदाय के सदस्यों के बहुमत से होता है, वह समुदाय का ही कार्य माना जाता है। परन्तु समुदाय यदि एक इकाई है तो यह समझ में नहीं आता कि उसका निर्णय बहुमत के आधार पर ही क्यों हो। यह मानने का कोई विशेष कारण नहीं है कि कोई व्यक्ति अपने निजी निर्णय की उपेक्षा इसलिए करे कि बहुमत उसके विरुद्ध है। वस्तुतः लॉक यह नहीं समझ सका कि बहुमत अत्याचारी भी हो सकता है।

एक आलोचना यह भी है कि लॉक ने यह कहा कि "किसी भी शासन और में निवास करने का अर्थ ही उस शासन के प्रति अपनी सहमति प्रदान करना है, सहमति शब्द को सारहीन और निरर्थक बना दिया है।

लॉक की सहमति का सिद्धान्त उसके प्राकृतिक कानून के सिद्धान्त से असंगत है। सहमति के सिद्धान्त का अर्थ है कि न्याय और अन्याय की धारणा प्राकृतिक नहीं, लोगों की सहमति पर निर्भर है। ठीक इसके विपरीत प्राकृतिक कानून के सिद्धान्त के अनुसार न्याय और अन्याय प्राकृतिक है। वे लोगों की सहमति पर निर्भर नहीं।

आलोचकों ने लॉक के सहमति के सिद्धान्त की आलोचना करते हुए कहा कि लॉक सहमति का इतना व्यापक अर्थ लगाता है कि व्यवहार में सहमति शब्द बिल्कुल अर्थहीन हो जाता है।

जो भी हो, लॉक के सहमति सिद्धान्त में अनेक त्रुटियाँ हैं। इसके बावजूद भी लॉक की महत्ता की उपेक्षा नहीं की जा सकती। यद्यपि शास्त्रीय ज्ञान में लॉक की अपेक्षा हॉब्स श्रेष्ठ था किन्तु राजनीतिक प्रभाव की दृष्टि से लॉक अधिक महत्वपूर्ण था। उसका नाम जनतंत्र की दुनिया में सदा अमर रहेगा। राज्य सत्ता सहमति पर आधारित हो सकती है, ऐसी घोषणा कर उसने दरबारवाद, साम्राज्यवाद एवं निरंकुश शासन का कड़ा विरोध किया।

Scanned with CamScanner